

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएस

प्रकरण सं० : 146/17

अनवान :

सरजीत पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवनकुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलबीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने एवं वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं० 134/12 के मु०नं० 28 के किला नं० 14 की 0.253 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं० 135/127 के मु०नं० 28 के किला नं० 15 ता 17, 24 व 25 मु०नं० 29 के किला नं० 11, 16 ता 21 की 2.821 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं० 2/2 के मु०नं० 32 के किला नं० 21 ता 25 मु०नं० 42 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 43 के किला नं० 1 ता 17, मु०नं० 44 के किला नं० 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है० बाराणी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 99-2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं० 5/6 के मु०नं० 67 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 68 के किला नं० 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बाराणी के वर्तमान खाता सं० 6/2 के मु०नं० 2 के किला नं० 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है० बाराणी खातेदारी में भी प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 कृष्णकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा कृषि भूमि को उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ~~27/11/17~~ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 146/17

अनवान :

सरजीत पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

— वादी

बनाम

1. कृष्णकुमार पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पवनकुमार पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी सरदारपुराबास चिड़ियागांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट

उपस्थिति : वकील श्री दलबीर बैनीवाल : वादी

निर्णय

दिनांक : 27/11/20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं० 134/12 के मु०नं० 28 के किला नं० 14 की 0.253 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं० 135/127 के मु०नं० 28 के किला नं० 15 ता 17, 24 व 25 मु०नं० 29 के किला नं० 11, 16 ता 21 की 2.821 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं० 2/2 के मु०नं० 32 के किला नं० 21 ता 25 मु०नं० 42 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 43 के किला नं० 1 ता 17, मु०नं० 44 के किला नं० 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम अपने भाई महेन्द्रसिंह के साथ 133-1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं० 5/6 के मु०नं० 67 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 68 के किला नं० 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के वर्तमान खाता सं० 6/2 के मु०नं० 2 के किला नं० 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है० बारानी खातेदारी में भी प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी

दर्ज है।



वादभूमि पहले वादी के दादा राजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। राजेराम के देहान्त होने पर वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी परन्तु विरासती इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी कृष्णकुमार ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। वादभूमि के सम्बन्ध में गत तीज के त्यौहार पर प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 के बीच पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से दर्ज है, वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी। इसी अनुसार वादभूमि पर वादी व प्रतिवादी सं० 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं० 1 ता 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली शुमार है। प्रतिवादी सं० 3 परोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में वादी ने चक 7, 9, 10 एसडीआर व चक 3 बारानी में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने जो फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग चक 3 बारानी सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 5, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग चक 10 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 6, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग चक 9 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 8, फोटोप्रति प्रमाणित जमाबन्दी भू-प्रबन्ध विभाग चक 7 सरदारपुरा सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद वादी के पड़दादा जोतराम वल्द कुम्भा के नाम से दर्ज है जिससे विवादित आराजी दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना साबित है एवं दादालाई होने के कारण वादी का विवादित कृषि भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है एवं वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। इस प्रकार वादी के दावा का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अतः वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं० 134/12 के मु०नं० 28 के किला नं० 14 की 0.253 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार चक 7 एसडीआर के ही खाता सं० 135/127 के मु०नं० 28 के किला नं० 15 ता 17, 24 व 25 मु०नं० 29 के किला नं० 11, 16 ता 21 की 2.821 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही चक 9 एसडीआर के वर्तमान खाता सं० 2/2 के मु०नं० 32 के किला नं० 21 ता 25 मु०नं० 42 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 43 के किला नं० 1 ता 17, मु०नं० 44 के किला नं० 4 ता 7, 14 ता 17, 24 व 25 की 10.120 है० बारानी खातेदारी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 99-2/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी

प्रकार चक 10 एसडीआर के खाता सं० 5/6 के मु०नं० 67 के किला नं० 1, 2, 9 ता 12, 19 व 20 मु०नं० 68 के किला नं० 2 ता 9, 13 ता 17 की 5.136 है० नहरी में प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम 1/36 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 3 बारानी के वर्तमान खाता सं० 6/2 के मु०नं० 2 के किला नं० 11, 12, 18 ता 23 की 2.024 है० बारानी खातेदारी में भी प्रतिवादी कृष्णकुमार के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं० 1 कृष्णकुमार के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा कृषि भूमि को उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त की जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़